

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग/
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग/राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अध्यक्ष, यूपीपीसीएल/प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल/
प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल।
- 4- निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : 8 दिसम्बर, 2022

विषय :- उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति- 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022" के प्रस्तर-14 के उप प्रस्तर-14.1 के प्राविधान के अनुसार नीति के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन में उपलब्ध समस्याओं एवं समय-समय पर उत्पन्न अंतर्विभागीय प्रकरणों के निस्तारण के लिए राज्य उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

मुख्य सचिव

अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व

अध्यक्ष, यूपीपीसीएल

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल
प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल
निदेशक, यूपीनेडा

सदस्य
सदस्य
सदस्य सचिव

राज्य उच्च स्तरीय समिति द्वारा नीति के अनुश्रवण हेतु यथा सम्भव त्रैमासिक बैठक की जायेगी, परन्तु परियोजनाओं के अनुमोदन आवश्यकता होने पर बैठक तात्कालिक भी की जा सकती है।

2- यह समिति निम्न दायित्वों का निर्वाहन सुनिश्चित करेगी:-

1- इस नीति के अन्तर्गत अधिक से अधिक निवेश प्राप्त हों।

2- सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत आवंटित 5 मे0वा0 एवं 5 मे0वा0 से अधिक क्षमता के परियोजनाओं का अनुमोदन प्रदान करना।

3- उ0प्र0 सौर इनर्जी डेवलेपमेन्ट फण्ड के व्यय पर अनुमोदन प्रदान करना।

4- नीति के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन में उपलब्ध समस्याओं एवं समय-समय पर उत्पन्न अन्तरविभागीय प्रकरणों के निस्तारण।

5- नीति के क्रियान्वयन में कोई समस्या उत्पन्न होने पर समिति द्वारा मा0 विभागीय मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री को नीति में संशोधन हेतु संस्तुति।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0।
- 4- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 10- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0 नेडा)।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सुनील कुमार चौहान)

अनु सचिव।